



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1948 (श10)

(सं0 पटना 1082) पटना, मंगलवार, 8 सितम्बर 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

8 सितम्बर 2026

एस0ओ0 212 दिनांक 8 सितम्बर 2026 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम-61) की धारा-36(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की सहमति से पूर्णियाँ, भागलपुर एवं गया के निम्नांकित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत मामलों के विचारण हेतु अनन्य विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है:-

क्रम सं0	न्यायमंडल	अभिहित अनन्य विशेष न्यायालय
I	II	III
1.	पूर्णियाँ	1. श्री दीपक सिंह वर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियाँ ।
2.	भागलपुर	1. श्री प्रभात कृष्ण, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भागलपुर ।
3.	गया	1. श्री अजित कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गया ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-05/2023/7372/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम दूबे,

सरकार के सचिव।

8 सितम्बर 2026

एसओ. 212 दिनांक 8 सितम्बर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-05/2023/7372/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

The 8th September 2026

S.O. 212, dated The 8th September 2026—In exercise of powers conferred by Section-36(1) of The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act. 61 of 1985) the Government of Bihar, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna, designate the courts of following District and Additional Sessions Judge of Purnea, Bhagalpur and Gaya as Exclusive Special Court for trial of cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985:-

Sl. No.	Judgeship	Designated Exclusive Special Court
I	II	III
1.	Purnea	1. Sri Deepak Singh Verma, District & Additional Sessions Judge, Purnea
2.	Bhagalpur	1. Sri Prabhat Krishna, District & Additional Sessions Judge, Bhagalpur.
3.	Gaya	1. Sri Ajit Kumar Singh, District & Additional Sessions Judge, Gaya.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

(File No.-A/Act -05/2023/7372/J.)

By Order of the Governor of Bihar,

Balram Dubey,

Secretary to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1082-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>